न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –112/2020

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2020/00140

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भंवरूराम दत्तक पुत्र राधाकिशन जाति माली मारोठिया निवासी आलनियावास तहसील रियांबडी जिला नागौर (राजस्थान)		1. तहसीलदार, रियांबडी जिला नागौर (राजस्थान) 2. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा आलनियावास जरिए शाखा प्रबन्धक

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय **दिनांक : 15-07-2021**

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा वाके मौजा आलनियावास का म्यूटेशन संख्या 1280 जो तहसीलदार रियांबडी द्वारा दिनांक 13.02.2020 को अस्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया व गोद घोषणा का वाद निरस्त होने के आधार पर अस्वीकृत करने का आदेश दिनांक 13.02.2020 का पारित किया जो आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुई। उक्त आदेश की सर्व प्रथम ज़ानकारी दिनांक 20.07.2020 हो हुई तब अपीलार्थी ने नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल 21.07.2020 को सांय प्राप्त हुई तब अपीलार्थी दिनांक 22.07.2020 को नागौर आया तब [illegible]लय समय समाप्त हो जाने से यह अपील दिनांक 23.07.2020 को [illegible] अन्दर मियाद शुमार की जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए [illegible] का आवेदन [illegible]कार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:47 IST
Reason: SelfAttested

जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने बहस में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई किया जाना उचित है।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुवे कथन किया कि मौजा आलनियावास की सरहद में खेताय खसरा नम्बर 147 रकबा 3.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.70 हेक्टर व खसरा नम्बर 168 रकबा 4.86 हैक्टर की खातेदारी का 1/2 हिस्सा चूकादेवी पत्नि राधाकिशन जाति माली के खातेदारी हक अधिकार का रहता आया है। स्वर्गीय राधाकिशन व चूकादेवी ने दिनांक 11.11.2005 को उनके कोई जाइन्दा सन्तान नहीं होने के कारण अपीलार्थी को गोद ले लिया तथा उसी दिन गोद लेने व देने के रस्म अदायगी कर अपीलार्थी के जाइन्दा माता पिता ने अपीलार्थी को स्वर्गीय राधाकिशन व चूकादेवी को गोद देना व राधकिशन व चूकादेवी ने गोद लेना स्वीकार कर राधाकिशन व चूकादेवी के गोद में बैठाकर गोद लेना देना स्वीकार कर गोद दे दिया तथा न्याती रिवाज के अनुसार मोलिया बांधकर एवं गुड बांटकर गोद लेने व देने के वास्तविक रस्मे अदा कर गोद ले लिया तब से अपीलार्थी स्वर्गीय राधाकिशन का गोद पुत्र हुआ। अपीलार्थी के मतदाता परिचय पत्र जो कि दिनांक 30.01.2012 को जारी किया गया उसमें पिता का नाम राधाकिशन दर्ज है, आधार कार्ड में भी पिता का नाम राधाकिशन है एवं परिवार कार्ड जो 2013 में जारी हुआ उसमें भी पिता का नाम राधाकिशन अंकित है तथा उससे पूर्व पुराना राशन कार्ड जारी किया गया उसमें भी पिता का नाम राधाकिशन अंकित है तथा बैंक खाता व मननरेगा के जोब कार्ड में भी तथा पेन कार्ड में सभी आवश्यक दस्तावेजो में अपीलार्थी के पिता का नाम राधाकिशन दर्ज है इसलिए अपीलार्थी राधाकिशन का दतक पुत्र है। अपीलार्थी की दतक माता चूकादेवी का देहान्त हो गया इसलिए उनके देहान्त पर अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गोद घोषणा का वाद जिला न्यायाधीश मेड़ता द्वारा खारिज करने पर विरासत का नामान्तरकरण जांच हेतु पेश किया जिसको उक्त आधार पर अस्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 13.02.2020 को पारित किया जो आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश खिलाफ कानून एंव तथ्यों एंव परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी ने स्वर्गीय राधाकिशन व चूकादेवी का गोद पुत्र है तथा समस्त सरकारी दस्तावेजो में व पहचान के दस्तावेजो में

अपीलार्थी के पिता का नाम राधाकिशन दर्ज है तथा 2005 में गोद लिया जिसका कोई लिखित गोदनामा निष्पादित नहीं हुआ जबकि हिन्दू दतक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार दतकनामा लिखित व पंजीकृत में होना आवश्यक नहीं है केवल गोद लेने व देने के रस्म अदायगी आवश्यक है इसके लिए विस्तृत जांच की जा सकती है तथा नामान्तरकरण वगैरह दर्ज करने से पूर्व गोद लेने व देने की रस्म अदायगी के संबंध में साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जा सकता है इसके लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है व न ही गोद की घोषणा करवानी आवश्यक है फिर भी प्रत्यर्थी ने गोद घोषणा का वाद खारिज होने के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

प्रत्यर्थी ने विवादित खेताय की मौके पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की व न ही कब्जे बाबत् कोई जांच की व न ही हक अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच की। मौके पर चूकादेवी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थी का है जो निरन्तर आज दिन तक चला आ रहा है। यदि वास्तव में जांच की जाती तो सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती फिर भी बिना जांच किये व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

नामान्तरकरण अस्वीकृति आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सुनवायी व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया जबकि अपीलार्थी ने उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी जो अपील विचाराधीन है इसलिए प्रकरण विचाराधीन था। यदि वास्तव में अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया जाता तो अपीलार्थी द्वारा अपील के विचाराधीन होने के संबंध में अवश्य दस्तावेज पेश किये जाते परन्तु नोटिस जारी नहीं किया व विधि के सामान्य सिद्वान्तो एवं प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरित जाकर आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

गोद होने या नहीं होने के संबंध में नामान्तरकरण कार्यवाही में ही प्रत्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जांच की जा सकती थी तथा जांच के दौरान दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व गोद लेने व देने की रस्म साबित करने बाबत साक्ष्य प्राप्त कर गोद की अवधारणा की जा सकती थी जिसके लिए प्रत्यर्थी स्वयं सक्षम था उसके लिए गोद की घोषणा करवाने की आवश्यकता नहीं थी व न ही इस आधार पर नामान्तरकरण को बिना जांच किये व बिना साक्ष्य सुनवायी लिए अस्वीकृति निर्णय पारित किये गलत रूप से आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया व गोद घोषणा वाद खारिज होने के आधार पर अस्वीकृत करने का आदेश 13.02.2020 को पारित किया। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1280 के अस्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar
Date: 2021.11.26 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच व बाद सुनवायी के विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने व पूर्ण जांच कर पुनः नामान्तरकरण वास्तविक खातेदार के नाम से दर्ज करने के निर्देश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील श्रीमान् जिला न्यायालय एंव सेशन न्यायाधीश मेडता द्वारा गोदनामा निरस्त के आधार पर अस्वीकृत किया गया है। जो पूर्णतया विधि सम्मत होने का कथन करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 13.02.2020 के अनुसार खातेदार चूकादेवी पत्नी राधाकिशन हि0 1/2 जाति माली की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा वारिसान नहीं होने पर गोदपुत्र/गोदनामा का दावा जिला न्यायालय मेडतासिटी द्वारा खारिज करने पर विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का आलनियावास द्वारा भरकर प्रस्तुत किया जिस पर निरीक्षक भू–अभिलेख आलनियावास द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में श्रीमान् जिला न्यायालय एंव सेशन न्यायाधीश मेडता द्वारा गोदनामा निरस्त होने से नामान्तरकरण खारिज योग्य होने की रिपोर्ट की, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकृत किया गया है। वकील अपीलांट का कथन कि जिला न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने का कथन किया है किन्तु जिला न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना स्थगित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील श्रीमान् जिला न्यायालय एंव सेशन न्यायाधीश मेडता द्वारा गोदनामा निरस्त के आधार पर अस्वीकृत किया गया है, जो उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सार हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाया जाकर निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested